

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी

बनाम



अप्रार्थीगण वगैरह

निरमा वगैरह

केलाशराम वगै०

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 58/2016

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
06/06/16	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपटित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी के तहत वकील श्री दशरथ सिंह ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा वावत् निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे आगामी आदेश तक मौजा गैलोली के विवादित खसरा नं. 910/129, 911/130, 131, 129, 130, 148, 146, प मौजा रूपाथल के खेत ख.न. 210, 574, 607, के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.07.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (एस. डी. ग्रॉ.) जायल (नागौर) </p> <p style="text-align: center;"> अधिकार/पत्रकारण के बाधवत् 5/7/16 मोटारोप प्रभाग की विदित में/प्रपत्र, व्यवस्था पर तय हुए है, दस्तावेज प्रकरण उसके समक्ष दिनांक 21/7/16 को प्रस्तुत करें। </p>	
21/7/16	<p>वकील प्रार्थी डॉ. अप्रार्थीगणों के सम्मन वाद तामील प्राप्त नहीं हुये है। पत्रावली दिनांक 29/7/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

28/4/17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26-5-17 को प्रस्तुत करें।

7/7

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
पत्रावली :- न्याय आप्रार विधिर पूर्ण होने पर आप्रार पर ली गई।
पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9-10-17 को प्रस्तुत करें।

9.10.17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29-12-17 को प्रस्तुत करें।

5/17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

29.12.17

पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4.1.18 को प्रस्तुत करें।

4/4/18

कबुलदा उपर प्रतिवडी / अप्रारि-04 की ऑर
से दल वाड में जीभाराप गौदास ने कनालतनाप
पेश किया / जो दल वाड में शक्ति विद्य गदा
पत्रावली अप्रारि से 01 व 05 से 06 की तलकी व
अप्रारि से 02 से 04 के अकाव देड पत्रावली
दिनांक 22-06-18 को पेश हो।

4/5/18

पत्रावली न्याय आप्रार के दार विधिर में अलग
सेवा केन्द्र जेलोली में पेश करी अप्रारि
से. 01 केलाशराम ने जबकि पेश कर अप्रारि
पत्र शकरीज करने का ठिकेन किया / अप्रारि-
अण अप्रारि से. 01 व 02 के डुकी / डुज है तथा
मौजा जेलोली के खलस नम्बर 910/129,
911/130, 131, 129, 130, 148, 146 अप्रारि से. 02
व 03 के खातेपरी व शन की दुरि भ्रमि है जिस
में प्राथिका के पिता अप्रारि से. 01 ने अपना
हिस्सा नही होना व प्राथिका पत्र शकरीज करने का

निवेदन दिया। प्रापना पत्र का अवलोकन
दिया गया। मौजा गोलोली के रेवेत अस्थारी
दं 02 व 03 के रेवालेदारी में दर्ज है तथा
अस्थारी नं: 01 अपना स्थिति नहीं होने
बाबत जबाब दिया है इलाकिके प्राधिकारी
गण का मौजा गोलोली के रेवेतों में
इक व स्थिति नहीं है तथा न ही कोई
कदजा कारत है।

मत: दिनांक 06.06.16 के
जारी की गई अस्थारी निचेचाहू को
स्वीज किया जाता है। तथा प्राधिकारी-
गण का प्रापना पत्र चलने योग्य नहीं
होने के कारण अस्थारत न स्वीज
दिया जाता है पत्रावली फ़ैसल मुमाद
होकर नम्बर से कम होकर इफ़्त
दाखिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर